an>

Title: Need to provide compensation to poor farmers whose lands have been acquired for fencing on Indo-Pak border in Jammu and Kashmir.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का, यानि गृह मंत्रालय का ध्यान जम्मू-कश्मीर की भारत पाक सीमा की तरफ ले जाना चाहता हूं। 1899 में जब आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ने लगीं और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होने लगी तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए जम्मू में भारत पाक सीमा पर तारबंदी की गई, ताकि जो मिलिटेंसी या घुसपैठ होती है, वे इधर न आ सकें। इसके लिए केन्द्र सरकार ने क्या किया कि गृह मंत्रालय ने वहां के किसानों की जमीन अधिगृहीत की। वहां पर तारबंदी कर दी गई। उसके बाद वहां के जो किसान थे, आज तक वहां पर न फसल उगा सकते हैं और न ही वहां फसल काटने जा सकते हैं और आज तक उनको उस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। वे लोग जो किसान हैं, वे बेघर हो गये हैं, वे बेरोजगार हो गये हैं, यहां तक कि उनकी नौबत भुखमरी तक आ पहुंची है। अब वे चाहते हैं कि या तो हमें इस जमीन के बदले जमीन दी जाये, या फिर इस जमीन का मुआवजा हमें दिया जाये। लेकिन, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इन गरीब किसानों के लिए सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से प्रार्थना है कि किस बात की सज़ा इन किसानों को मिल रही है? इन्हें न तो कोई रोज़गार दिया जा रहा है और न ही मुआवज़ा दिया जा रहा है, जिससे कि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, गृह मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ तालमेल बनाकर इन गरीब किसानों को मुआवज़ा दिलाएं, जिससे वे अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

डॉ. मनोज राजोरिया को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।